संख्या :– 998 /I/2008-03(08)/37/2008

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उरेडा,
देहरादून।

ऊर्जा विभागः देहरादून : दिनांक : 02/12 नवम्बर, 2008

विषयः– ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु जनसहभागिता के आधार पर निर्मित की जाने वाली लघु जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन उरेडा को किए जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषय अपने पत्र सं0–741/उरेडा–04(1)–135/ग्रा0स0/2008, दिनांक 15–07–2008 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं का विकास जन सहभागिता के आधार पर ऊर्जा समितियों के माध्यम से कराये जाने हेतु उरेडा को आवंटित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

क्र0	परियोजना का नाम	जनपद	विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित ग्राम/तोक	प्रस्तावित क्षमता (Kw)
1	गंगी	टिहरी	राजस्व ग्राम गंगी, ऋचक तथा तोक देवखरी, लेनी एवं नलान गांव	200
2	कोटीझाला	टिहरी	राजस्व ग्राम– कोटीझाला, तितरोना, निवाल गांव, मरवाड़ी, मेड़ तथा तोक घन्डीयाल सौड़	250
3	पिनस्वाड़	टिहरी	पिनस्वाड़, ओरानी	50

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव

संख्या :– 998 /I/2008-03(08)/37/2008, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार, ब्लॉक नं0–14, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0पा0का0लि0/उ0ज0वि0नि0लि0/पिटकुल, देहरादून।
3. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सौरभ जैन)
अपर सचिव